


सं. ए-12018/43/2017-एमई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मैकेनिक एवं फिटर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015केका.जा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मैकेनिक एवं फिटर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

| क्र.सं. | अनुसूची के अनुसार | वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान | प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान | परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी |
|---------|--------------------------------------|--|--|---------------------------|
| 1. | पद का नाम | मैकेनिक एवं फिटर | मैकेनिक एवं फिटर | |
| 2. | पदों की सं. | 1 | 1 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | |
| 3. | वर्गीकरण | अराजपत्रित, अननुसचिवीय | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | |
| 4. | वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में) | 65-2-75(पहला के.वे.आ.) 110-3-131 (दूसरा के.वे.आ.) 260-326-ईबी-8-350 (तीसरा के.वे.आ.) 950-20-1150-ईबी-25-1500 (चौथा के.वे.आ.) एस-5 (3050-75-3950-80-4590) (पांचवां के.वे.आ.) पीबी-1, जीपी: 1900 (छठा के.वे.आ.) | पे मैट्रिक्स का लेवल- 2 (रु. 19900) | |
| 5. | क्या चयन पद अथवा अचयन पद | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 6. | सीधे भर्ती के लिए आयु- | 25वर्ष | 18-25 वर्ष के बीच | कार्मिक एवं प्रशिक्षण |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | सीमा | | <p>(सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय)</p> <p>टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)</p> | <p>विभाग द्वारा का.जा.सं.ए.बी-14017/48/2010—एस्ट (आरआर) दिनांक 31.12.2013 द्वारा जारी भर्ती-नियमावली को बनाने/ संशोधित करने/ छूट देने संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा-3.7.4.1 के अनुसार।</p> |
| 7. | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता | <p>किसी कारखाने या तकनीकी संस्था में मैकेनिक फिटर के रूप में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। अस्पताल ट्रैक्टर चलाने या सिनेमा प्रोजेक्टर चलाने में सहायता करने में सक्षम हों। यांत्रिक उपस्करों की मरम्मत करने में भी</p> | <p>1. मैट्रिकुलेशन 2. आईटीआई उत्तीर्ण*</p> <p>*मैकेनिक एवं फिटर के पद के लिए ड्राइवर - सह- फिटर या 'मैकेनिक'(मोटर वाहन) ट्रेड,में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा।</p> | <p>कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मॉडल आरआर और एबी. 14017/6/2009 एस्ट. (आरआर) दिनांक 30 अप्रैल, 2010 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मैट्रिकुलेशन और किसी कारखाने</p> |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---|
| | | सक्षम हों। | | <p>या तकनीकी संस्था में मैकेनिक फिटर के रूप में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। अस्पताल ट्रैक्टर चलाने या सिनेमा प्रोजेक्टर चलाने में सहायता करने में सक्षम हों। यांत्रिक उपस्करों की मरम्मत करने में भी सक्षम हों।</p> <p>या आईटीआई उत्तीर्ण*</p> <p>*मैकेनिक एवं फिटर के पद के लिए ड्राइवर-सह-फिटर या 'मैकेनिक'(मोटर वाहन) ट्रेड, में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा।</p> |
| 8 | क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी। | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | 2 वर्ष | 2 वर्ष | |
| 10. | भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की | 100%सीधी भर्ती द्वारा | 100%सीधी भर्ती द्वारा | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|------------|-----------|
| | प्रतिशतता | | | |
| 11. | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | लागू नहीं | लागू नहीं। | लागू नहीं |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 13. | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | लागू नहीं | लागू नहीं। | लागू नहीं |